

संस्करण - 09

दिनांक : 20-07-2025

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड  
चेक संग्रहण नीति  
जुलाई 2025

## सामग्री

1. परिचय.....	2
2. मार्गदर्शक सिद्धांत .....	2
3. विभिन्न प्रकार के चेकों/लिखतों की व्यवस्था .....	2
5. स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद.....	3
6. PAR पर देय.....	3
7. स्थानीय/बाहरी चेकों की वसूली के लिए समय सीमा .....	3
8. क्षतिपूर्ति नीति .....	3
9. मार्गस्थ/समाशोधन प्रक्रिया में अथवा भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खोये चेक/लिखत .....	4
10. अप्रत्याशित घटना .....	5
11. उपकरणों का अपमान.....	5
12. सेवा शुल्क.....	6
13. शब्दावली.....	6
अनुलग्नक 1 - चेक अस्वीकृति कोड .....	8

## 1. परिचय

- 1.1 1 नवंबर 2004 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1) स्थानीय/बाहरी चेक/लिखत संग्रहण के लिए समय सीमा और 2) विलंबित वसूली पर ब्याज भुगतान के संबंध में अपने पहले के अनुदेशों को वापस ले लिया। इसके बजाय, आरबीआई ने सभी बैंकों को चेक संग्रह और पारगमन में खो गए उपकरणों के लिए एक व्यापक और पारदर्शी नीति तैयार करने की सलाह दी, जिसमें उपरोक्त सभी पहलुओं को शामिल किया गया हो।
- 1.2 चेक संग्रहण नीति बैंक द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने में देरी के कारण ब्याज भुगतान के माध्यम से बैंक की देयता प्रदान करती है। ब्याज भुगतान के माध्यम से मुआवजा, जहां आवश्यक हो, ग्राहक से किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।

## 2. मार्गदर्शक सिद्धांत

बैंक की चेक संग्रहण नीति ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और प्रदर्शन के लिए उच्च मानक स्थापित करने के अपने प्रयास को दर्शाती है। नीति ग्राहकों के उपचार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक भुगतान और निपटान प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## 3. विभिन्न प्रकार के चेकों/लिखतों की व्यवस्था

### 3.1 स्थानीय चेक

3.1.1 स्थानीय रूप से देय सभी चेक प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले शाखा काउंटरों पर और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बक्से में जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। लागू कट-ऑफ समय चेक ड्रॉप बॉक्स पर और ग्राहकों के लाभ के लिए शाखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। कट-ऑफ समय के बाद और शाखा परिसर के बाहर संग्रह बक्से में जमा किए गए चेक अगले दिन समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.1.2 बैंक ग्राहक के खाते में उसी दिन क्रेडिट करेगा जिस दिन क्लियरिंग सेटलमेंट होगा। क्लियरिंग हाउस का चेक रिटर्न शेड्यूल यह निर्धारित करेगा कि जमा की गई राशि कब निकाली जा सकती है।

3.1.3 केंद्र में स्थित बैंक शाखाएं, जहां कोई समाशोधन गृह मौजूद नहीं है, काउंटर पर अदाकर्ता बैंकों पर स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगे और बैंक जल्द से जल्द आय को जमा करने का प्रयास करेगा, लेकिन ग्राहक द्वारा जमा करने की तारीख से तीसरे कार्य दिवस के बाद नहीं।

### 3.2 बाहरी चेक:

3.2.1 बैंक ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चेकों का संग्रहण करते हैं, जिनमें से कुछ गैर-स्थानीय बैंक शाखाओं पर भी आहरित किए जा सकते हैं, जिन्हें आउटस्टेशन चेक के रूप में जाना जाता है। बाहरी केंद्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित चेक सामान्यतः उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

जहां बैंक की अपनी शाखा नहीं है, लिखत को सीधे अदाकर्ता बैंक को संग्रहण के लिए भेजा जाएगा या संपर्की बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा

3.2.2 बाहरी केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेकों को कोर बैंकिंग समाधान नेटवर्क का उपयोग करके उसी दिन ग्राहक को जमा किया जाएगा

## 4. खाता आदाता चेक का संग्रहण - तृतीय पक्ष के खाते में आय जमा करने पर प्रतिबंध

- 4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, आदाता चेक खाता का संग्रहण - दिनांक 27 अगस्त, 2009 के तृतीय पक्ष खाते में आय जमा करने पर प्रतिबंध, तृतीय पक्ष खातों (सहकारी ऋण समितियों के) के माध्यम से आदाता खाता के पार किए गए चेकों

की वसूली अनुमेय नहीं है।

- 4.2 तथापि, भुगतान प्रणाली की दृष्टि से चेकों की वसूली को सुकर बनाने के लिए उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि समाशोधन गृहों के उप-सदस्य प्रायोजक सदस्य के माध्यम से अपने ग्राहकों के बैंक उनके खातों में जमा करने के लिए उनमें उल्लिखित कतिपय परिस्थितियों में एकत्र कर सकते हैं।
- 4.3 चूंकि सहकारी ऋण समितियां समाशोधन गृहों की उप-सदस्य भी नहीं हैं, इसलिए ऐसी सहकारी ऋण समितियों के सदस्य जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, उनके नाम पर आहरित खाता आदाता चेकों को एकत्र करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा खाता आदाता चेकों की वसूली में सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संग्रहकर्ता बैंक अपने ग्राहकों, जो सहकारी ऋण समितियां हैं, के खाते में रु.50,000/- से अनधिक राशि के आहरित खाता आदाता चेकों को एकत्र करने पर विचार कर सकते हैं, यदि ऐसे चेकों के प्राप्तकर्ता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के संघटक हों। उपर्युक्त चेकों को एकत्र करते समय, बैंकों को संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप में दिया गया स्पष्ट अभ्यावेदन होना चाहिए कि चेकों की प्राप्ति होने पर चेक से प्राप्त राशि केवल सहकारी ऋण समिति के सदस्य के खाते में जमा की जाएगी जो चेक में नामित आदाता है। हालांकि, यह परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के प्रावधानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन होगा, जिसमें इसकी धारा 131 भी शामिल है

## 5. स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद

बैंक अपने विवेकानुसार ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रहण के लिए प्रस्तुत स्थानीय/बाहरी चेक खरीद सकता है। चेक के अदाकर्ता की स्थिति पर विचार किया जाएगा, साथ ही बैंक द्वारा चेक खरीदने से पहले खाते के संतोषजनक आचरण पर विचार किया जाएगा

## 6. PAR पर देय

सभी ग्राहकों को मानक स्तर पर देय चेक जारी किए जाते हैं। बैंक सममूल्य चेक जारी करने पर देय के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करता है और न ही यह बराबर चेकों पर देय के भुगतान के लिए कोई प्रभार लगाएगा।

## 7. स्थानीय/बाहरी चेकों की वसूली के लिए समय सीमा

- 7.1 समाशोधन में प्रस्तुत स्थानीय चेकों के लिए, ग्राहक के खाते को निधियों के निपटान की तारीख को जमा किया जाएगा और उन्हें रिटर्न समाशोधन मानदंडों के अनुसार धन निकालने की अनुमति दी जाएगी
- 7.2 भारत के भीतर केंद्रों को संग्रह के लिए भेजे गए चेकों को निम्नलिखित समयसीमा का पालन करना होगा:  
(अ) सीटीएस केंद्रों पर देय चेक: अधिकतम 7 दिन  
(आ) गैर-सीटीएस केंद्र: अधिकतम अवधि 10/14 दिन।

ऋण की वास्तविक वसूली संबंधित ग्रीड पर लागू प्रतिफलों के लिए कट ऑफ समय के आधार पर भिन्न हो सकती है।

## 8. क्षतिपूर्ति नीति

### 8.1 स्थानीय चेकों के विलंबित संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान

- 8.1.1 निर्धारित समय अवधि के बाद क्रेडिट देने में देरी होने पर बैंक ग्राहक को चेक राशि पर लागू बचत खाता दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। इस तरह के ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना किया जाएगा। विलंबित वसूली पर ब्याज के भुगतान के प्रयोजन के लिए बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा

## 8.2 बाहरी चेकों के विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

8.2.1 मुआवजा नीति के तहत निर्धारित समय अवधि के बाद क्रेडिट देने में देरी होने पर ग्राहक को चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना किया जाएगा।

8.2.2 विलंबित वसूली के लिए ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:

- (१) बचत खाता बैंक दर 7/10/14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए, जैसा भी मामला बाहरी चेकों के संग्रहण में हो सकता है।
- (२) जहां विलंब 14 दिनों से अधिक है, वहां विलंब की अवधि के लिए मीयादी जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- (३) असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, देरी की अवधि के लिए संबंधित मीयादी जमा दर से 2% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- (४) यदि संग्रहण के तहत चेक की आय ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जानी थी, तो ब्याज का भुगतान लागू दर पर किया जाएगा ऋण खाते में। असाधारण देरी के लिए, ऋण खाते पर लागू दर से 2% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

8.2.3 कुछ स्थानों पर जहां बैंक की कोई शाखा नहीं है, लिखत को सीधे अदाकर्ता बैंक को संग्रह के लिए भेजा जाएगा या एक प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। प्राप्तियों को भेजने में अदाकर्ता बैंक की ओर से किसी अनुचित देरी के कारण, बैंक ग्राहक को 14 कार्य दिवसों से परे किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बैंक उन चेकों के बारे में ग्राहकों को साझा/सूचित करेगा जो अदाकर्ता बैंकों द्वारा विलंबित हैं।

## 9. मार्गस्थ/समाशोधन प्रक्रिया में अथवा भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खोये चेक/लिखत

9.1 यदि कोई चेक या संग्रहण के लिए स्वीकार किया गया लिखत पारगमन में या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है:

- नुकसान की जानकारी मिलने पर बैंक तुरंत खाताधारक को सूचित करेगा, ताकि खाताधारक भुगतान रोकने के लिए आहर्ता को सूचित कर सके। इसके अलावा, उसे खोए हुए चेकों/लिखतों की राशि जमा न होने के कारण उनके द्वारा जारी किए गए चेकों को अस्वीकृत होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- बैंक ग्राहक को चेक के अदाकर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा जैसे भुगतान न करने का प्रमाण पत्र देना।

9.2 मार्गस्थ चेकों/लिखतों के खो जाने के मामले में, बैंक अपनी क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार खाताधारक को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा:

- यदि बैंक ग्राहक को संग्रहण के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जैसा भी मामला हो) से अधिक लिखत के नुकसान के बारे में सूचित करता है, तो ब्याज का भुगतान मुआवजा नीति (धारा 8.2.2) में ऊपर निर्दिष्ट दरों पर उक्त संग्रह अवधि से अधिक की अवधि के लिए किया जाएगा
- इसके अलावा, बैंक चेक की राशि पर अगले 15 दिनों की अवधि के लिए बचत खाता बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा ताकि डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसे एकत्र करने में और विलंब की संभावना हो
- बैंक ग्राहक को 500/- रुपये तक के वास्तविक प्रभारों की प्रतिपूर्ति करेगा, जो वे रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में खर्च करते हैं, यदि लिखत बैंक/संस्थान से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लीकेट लिखत

जारी करने के लिए शुल्क लेगा

### 9.3 फुटकर

- ऐसे चेक जो पे-इन स्लिप पर उल्लिखित गलत खाता संख्या के साथ जमा किए जाते हैं, बैंक ऐसे चेकों को 48 कार्य घंटों के भीतर उल्लिखित पते पर ग्राहकों को लौटा देगा।
- भुगतान न किए गए चेक बैंक के डेटाबेस में दर्ज पते पर 48 कार्य घंटों के भीतर डाक/कूरियर आदि द्वारा ग्राहक को वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि, इन्हें काउंटर पर ग्राहक को वापस करने के लिए बैंक में रखा जाएगा यदि वह इसके लिए अनुरोध करता है। यदि ग्राहक द्वारा 15 दिनों के भीतर एकत्र नहीं किया जाता है तो बैंक उन्हें पोस्ट या कूरियर द्वारा दर्ज पते पर वापस भेज देगा।

## 10. अप्रत्याशित घटना

बैंक विलंबित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि कुछ अप्रत्याशित घटना, जिसमें नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रम गड़बड़ी, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य "भगवान के कार्य", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके संवाददाता बैंक (ओं) को नुकसान, संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन की अनुपस्थिति शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, आदि बैंक के नियंत्रण से परे है जो इसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकता है।

## 11. उपकरणों का अपमान

### 11.1 अनादरित चेकों की वापसी/प्रेषण की प्रक्रिया

11.1.1 अदाकर्ता बैंक को क्लियरिंग हाउसों के माध्यम से प्रस्तुत अनादरित चेकों को बैंकर्स क्लियरिंग हाउसों के लिए एकसमान विनियमों और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार सख्ती से वापस करना चाहिए। ऐसे अनादरित चेकों की प्राप्ति पर वसूलकर्ता बैंक को इसे तुरंत आदाता को भेजना चाहिए।

11.1.2 यदि चेक सीधे भुगतानकर्ता बैंक को उस बैंक के दो खातों के बीच अंतरण के माध्यम से निपटान के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसे ऐसे अनादरित चेकों को आदाता को तुरंत वापस कर देना चाहिए

11.1.3 धन की कमी के कारण अस्वीकृत चेकों को एक ज्ञापन के साथ वापस किया जाना चाहिए जिसमें अनादरण का कारण "अपर्याप्त धन" के रूप में दर्शाया गया हो।

### 11.2 बार-बार अपमान की घटनाओं से निपटना

11.2.1 यदि रु. 1 करोड़ और उससे अधिक मूल्य का चेक अस्वीकृत कर दिया गया है

ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए, बैंक उन ग्राहक खातों के लिए नई चेक बुक जारी नहीं करेगा जहां एक विशेष वित्तीय वर्ष में 4 बार धन की कमी के कारण 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चेक अस्वीकृत कर दिए गए हैं। साथ ही, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर विचार कर सकता है।

यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते पर तीसरी बार चेक अस्वीकृत किया जाता है, तो बैंक संबंधित ग्राहक को उपर्युक्त शर्त को ध्यान में लाते हुए चेतावनी जारी करेगा और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते पर चौथी बार चेक अस्वीकृत होने की स्थिति में चेक सुविधा को रोक देगा। यदि बैंक खाता बंद करना चाहता है तो इसी प्रकार की चेतावनी जारी की जा सकती है।

11.2.2 यदि 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य का चेक अस्वीकृत किया गया है

ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए, बैंक चेक अनादरण के मामलों को संभालने के लिए नीचे दिए गए मैट्रिक्स का पालन करेगा, जिसका मूल्य INR 1 करोड़ से कम है:

आवक चेक रिटर्न - धन की कमी के लिए			
क्र.सं.	कोटि	आवृत्ति	मुकदमा
1	एक महीने में 5 लाख से ज्यादा के 5 या उससे ज्यादा चेक रिटर्न	मासिक पत्रिका	ग्राहकों को चेतावनी सलाह भेजी जाएगी।
2	10 या अधिक चेक रिटर्न (कोई भी राशि) प्रति लगातार दो महीने के लिए महीना	मासिक पत्रिका	चेतावनी सलाह को भेजा जाएगा ग्राहकों।
3	लगातार दूसरे महीने 5 लाख से ज्यादा के 5 या उससे ज्यादा चेक रिटर्न	मासिक पत्रिका	बैंक प्रेरित खाता बंद करने का पत्र ग्राहकों को भेजा जाएगा
4	10 या अधिक चेक रिटर्न (कोई भी राशि) प्रति लगातार तीन महीने के लिए महीना	मासिक पत्रिका	बैंक प्रेरित खाता बंद करने का पत्र ग्राहकों को भेजा जाएगा

### 11.3 विचार किए जाने वाले अन्य कारक

- 11.3.1 बैंक चेक के अनादरण के तथ्य के सभी दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करेगा, यदि आदाता को न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- 11.3.2 बैंक अनादरित चेकों के संबंध में सभी सूचनाओं को समेकित करेगा और तिमाही समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा
- 11.3.3 बैंक चेक के अदाकर्ता के साथ बैंक के कर्मचारियों की किसी भी तरह की मिलीभगत को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ताकि आदाता को चेक के अनादरण के संचार को रोका जा सके। बैंक आदाता को अनादरित चेक के संचार और वितरण के आंतरिक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा।
- 11.3.4 बैंक किसी खाते के लिए लगातार छह (6) महीनों में देखी गई निधियों की कमी के कारण बार-बार एनएसीएच रिटर्न को भी वीड-आउट नीति के अनुसार बैंक प्रेरित बंद करने के लिए पात्र मानेगा।

## 12. सेवा शुल्क

प्रदान की गई सभी संग्रहण सेवाओं के लिए, बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार और ग्राहकों को सूचित किए गए उचित सेवा प्रभार वसूल करेगा जैसा कि बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए अपनाई गई बैंक की प्रतिबद्धता संहिता में दर्शाया गया है

## 13. शब्दावली

अवधि	या क्रिस्म
खाता होना	बैंक AU लघु वित्त बैंक को संदर्भित करता है
आरबीआई	"भारतीय रिज़र्व बैंक" के लिए एक संक्षिप्त शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है
केवाईसी	"अपने ग्राहक को जानें" के लिए एक संक्षिप्त शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है
दायक	चेक चेक और अन्य सभी परक्राम्य लिखतों को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज / लाभांश वारंट

चेक क्लियरिंग	यह उस बैंक से चेक को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें इसे उस बैंक में जमा किया गया था जिस पर इसे आहरित किया गया था, जैसे कि इसके परिणामस्वरूप जमा के बैंक में खाते में क्रेडिट होता है, और उस बैंक में खाते के बराबर डेबिट होता है जिस पर यह खींचा गया था
संवाददाता बैंक	यह एक बैंक / वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान की ओर से सेवाएं प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, व्यापार लेनदेन करता है, दस्तावेजों / उपकरणों का संग्रह आदि।
नोस्ट्रो अकाउंट	यह एक घरेलू बैंक द्वारा किसी विदेशी देश में रखे गए बैंक खाते को संदर्भित करता है, जो उस विदेशी देश की मुद्रा में अंकित होता है। ये मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा और व्यापार लेनदेन के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है
सममूल्य पर देय	यह उन चेकों को संदर्भित करता है जिन्हें स्थानीय चेक के रूप में माना जाएगा, भले ही जारीकर्ता और अदाकर्ता बैंक विभिन्न शहरों में स्थित हों। चेक की पूरी राशि ग्राहक के खाते में जमा की जाएगी, बाहरी चेक प्रभारों की कटौती किए बिना।
सीबीएस	यह बैंक द्वारा कार्यान्वित कोर बैंकिंग समाधान को संदर्भित करता है
फोकल प्वाइंट शाखा	यह एक नामित शाखा को संदर्भित करता है, जहां सरकारी चेकों के सभी भुगतान स्कॉल रिपोर्टिंग, मिलान और लेन-देन का निपटान

अनुलग्नक 1 - चेक अस्वीकृति कोड

कूट संख्या	वापसी का कारण
01	फंड अपर्याप्त
02	व्यवस्था से अधिक है
03	प्रभाव साफ नहीं, फिर से मौजूद
04	दराज का संदर्भ लें
05	कृपया दराज से संपर्क करें! अदाकर्ता बैंक और कृपया फिर से प्रस्तुत करें
10	दराज के हस्ताक्षर अधूरे
11	दराज के हस्ताक्षर अवैध
12	दराज के हस्ताक्षर अलग हैं
13	दराज के हस्ताक्षर आवश्यक हैं
14	आहर्ता के हस्ताक्षर शासनादेश के अनुसार नहीं
15	खाता संचालित करने के लिए दराज के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं हुए
16	खाता संचालित करने के लिए दराज का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ
17	परिवर्तन के लिए दराज के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है
20	दराज द्वारा भुगतान रोका गया
21	कुर्की आदेश से रुका भुगतान
22	कोर्ट के आदेश से भुगतान रोका
23	खाताधारक की मृत्यु के कारण निकासी बंद
24	खाताधारक के पागलपन के कारण निकासी बंद
25	खाताधारक के दिवालिया होने से निकासी बंद
30	इंस्ट्रुमेंट पोस्ट दिनांकित
31	उपकरण बाहर दिनांकित/बासी
32	उपकरण अनिर्धारित/उचित तिथि के बिना
33	साधन कटे-फटे; बैंक की गारंटी की आवश्यकता है
34	अनियमित रूप से आहरित चेक/शब्दों और आंकड़ों में अलग-अलग राशि
35	क्लियरिंग हाउस स्टाम्प/तिथि आवश्यक
36	गलत तरीके से दिया गया / हम पर नहीं खींचा गया
37	उचित क्षेत्र में मौजूद
38	साधन में बाहरी पदार्थ होता है
39	छवि स्पष्ट नहीं है; कागज के साथ फिर से प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	आइटम दो बार सूचीबद्ध
42	कागज प्राप्त नहीं हुआ
50	खाता बंद कर दिया गया
51	खाता किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित
52	ऐसा कोई अकाउंट नहीं है
53	खाते का शीर्षक आवश्यक है
54	खाते का शीर्षक गलत/अधूरा
55	ब्लॉक किया गया खाता (स्थिति 21-25 में कवर की गई)

कूट संख्या	वापसी का कारण
60	दो बैंकों को पार किया
61	क्रॉसिंग स्टाम्प रद्द नहीं किया गया
62	क्लियरिंग स्टाम्प रद्द नहीं किया गया
63	उपकरण विशेष रूप से दूसरे बैंक को पार कर गया
64	सुरक्षात्मक क्रॉसिंग में राशि गलत
65	सुरक्षात्मक क्रॉसिंग में राशि आवश्यक/अवैध
66	आदाता के समर्थन की आवश्यकता है
67	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित /
68	निशान/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होती है सील के साथ
70	राशि/नाम सलाह पर भिन्न होता है
71	प्रायोजक बैंक के साथ अदाकर्ता बैंक का फंड अपर्याप्त
72	बैंक को आदाता का अलग से निर्वहन आवश्यक है
73	1 प्रॉक्सिमो तक देय नहीं है
74	भुगतान आदेश के लिए काउंटर हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है
75	आवश्यक जानकारी सुपाठ्य/सही नहीं है
80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक
81	कार्यालय जारी करने से ड्राफ्ट खो गया; जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है
82	बैंक/शाखा अवरुद्ध
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफलता
84	अन्य कारण कनेक्टिविटी विफलता
85	दिनांक क्षेत्र परिवर्तन सुधार के अलावा अन्य उपकरण पर परिवर्तन सीटीएस के तहत निषिद्ध हैं
86	नकली जाली चोरी ड्राफ्ट चेक नकद आदेश ब्याज वारंट लाभांश वारंट
87	भुगतानकर्ता एक सी जमा स्टाम्प आवश्यक है
88	अन्य कारण
92	बैंक को बाहर रखा गया